>

Title:Need to declare the areas inhabited by civilians under Morar cantonment as a civil area in Gwalior, Madhya Pradesh.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): मेरे संसदीय क्षेत्र ग्वालियर के अंतर्गत छावनी क्षेत्र मुरार के बंशीपुरा, परसादीपुरा, सुरैयापुरा, तिकोनिया, हरदेव सिंह की टाल, सुतारपुरा, निबुआपुरा, काछीपुरा, काशीपुरा, माधोपुरा एवं घोसीपुरा में निवासरत नागरिक पिछले कइ वर्षो से सिविल एरिया घोषित किये जाने हेतु पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं। जिसके लिए मेरे द्वारा समय समय पर संबंधित अधिकारियों एवं माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित किये गये।

इसी तारतम्य में दिनांक 28.5.09 को तत्कालीन माननीय रक्षामंत्री, भारत सरकार से भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् इस विषय को मेरे द्वारा नियम 377 के तहत लोक सभा में भी उठाया गया। उक्त प्रयासों के फलस्वरूप छावनी परिषद मुरार ने अपने संकल्प क्रमांक 2 दिनांक 30.12.83 एवं संकल्प क्रमांक 25 दिनांक 04.12.99 से छावनी क्षेत्र के नागरिक क्षेत्र को छावनी अधिनियम की धारा 43-A के तहत सिविल एरिया घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। मेरे इतने अथक प्रयास के बाद भी अभी तक छावनी क्षेत्र मुरार के नागरिक आबादी वाले क्षेत्र को सिविल एरिया घोषित नहीं किया जा सका है।

सिविल एरिया घोषित न होने के कारण मुरार छावनी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। क्षेत्र के विकास एवं आम निवासी की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त छावनी क्षेत्र को शीघ्र सिविल एरिया घोषित किया जाना अति आवश्यक है। अतः इस दिशा में ठोस कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे उक्त क्षेत्र में निवासरत लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।